जीवन वृत्त

नाम	–	राजेन्द्र कोटियाल
पिता का नाम	–	स्व0 रविन्द्र प्रसाद कोटियाल
जन्म तिथि	–	1–07–1955 (1 जौलाई उन्नीस सौ पचपन)
शैक्षिक योग्यता	–	बी.कॉम., एल0एल0बी0
स्थानीय पता	–	8 द्रोण पुरी, जनरल महादेव सिंह रोड, देहरादून दूरभाष–0135–2721274 मो0–9412076223, 9412054110
स्थायी पता	–	ग्राम–कोटी–पट्टी–भरपूर पो0ओ0–देवप्रयाग, जिला–टिहरी गढ़वाल।
अब से पूर्व	–	उच्च न्यायालय नैनीताल में अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत।
अनुभव	–	35 वर्ष के अधिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य अनुभव।
	–	10 वर्ष के अधिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य अनुभव।
	–	10 वर्ष राजकीय सेवा का अनुभव।
	–	25 वर्ष से अधिक वकालत का अनुभव।

विशेष–

1. प्रार्थी ने वर्ष 1974 में समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 की ओर से चयनित होकर विश्व युवक केन्द्र नई दिल्ली से सामाजिक कार्य करने का प्रशिक्षण लिया।
2. वर्ष 1974–75 में बद्रीनाथ में चल रहे जन आन्दोलन में गिरफ्तार होकर 14 दिन मुरादाबाद जेल में रहे और स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा के हस्तक्षेप के उपरान्त रिहा।
3. 1975–77 में देहरा यूथ कल्ब देहरादून के सदस्य व पत्रकारिता की।
4. वर्ष–1978 में सरकारी सेवा में आये।
   विभागीय अनुमति से ऋषिकेश महाविद्यालय में एम0ए0 (अर्थशास्त्र) में दाखिला, छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, महाविद्यालय पत्रिका के संपादक रहे, अंतर विश्वविद्यालय व अन्तर महाविद्यालय स्तर पर अनेक वाद–विवाद एवं

निबंध प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा पुनः 1980 में सामाजिक कार्यों हेतु 45 दिवसीय शिविर में दिल्ली में हिस्सा लिया और स्वनाम धन्य बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, स्व0 कल्पना दत्त जोशी, स्व0 कैफी आजमी, स्व0 रूस्तम सेठिन के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

5. वर्ष 1986 के राज्य कर्मचारियों के ऐतिहासिक आन्दोलन में कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक रहे।
6. वर्ष 1978 से 88 तक 30 से अधिक मजदूर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी रहे व स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्निकल वर्कर्स फैडरेशन उ0प्र0 के प्रान्तीय उपाध्यक्ष रहे।
7. वर्ष 1989 में टिहरी में टी0एच0डी0सी0 बनने के बाद 11 दिन की भूख हड़ताल की तत्पशचात् टी0एच0डी0सी0 कर्मियों की सेवा शर्तें बनीं।
8. वर्ष 1991–92 में टिहरी गढ़वाल जिला बार एसोशियेशन के निर्विरोध सह सचिव रहे।
9. वर्ष 1992–93 में जिला बार एसोशियेशन के निर्विरोध सचिव रहे।
10. उत्तराखण्ड आन्दोलन में सक्रिय रहे, उ0प्र0 विधान सभा में उत्तराखण्ड के समर्थन में नारे लगाये व पर्चे फेंके। उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों की जिला न्यायालय, सी0बी0आई0 न्यायालय व उच्च न्यायालय में निःशुल्क पैरवी की व स्वयं कई बार जेल रहे।
11. उत्तराखण्ड राज्य निर्माण मोर्चा के केन्द्रीय प्रवक्ता रहे व उत्तराखण्ड आन्दोलन में जेल रहे।
12. वर्ष 2001–02 व वर्ष 2002–03 में हाई कोर्ट बार एसोशियेशन नैनीताल के निर्विरोध कार्यकारिणी सदस्य रहे।
13. सी0बी0आई0 बनाम अनन्त कुमार मामले में अनन्त कुमार के बरी होने के उपरान्त उत्तरांचल सरकार के विशेष अधिवक्ता के तौर पर माननीय उच्च न्यायालय में पुर्नः विचार याचिका दायर की, जो स्वीकार हुई।
14. उत्तराखण्ड के प्रथम आन्दोलनकारी उमेश चरण गुसाई को सजा होने पर उसकी ओर से निःशुल्क पैरवी की व उसकी सजा पर रोक लगवाई। अन्ततः गुसांई निर्दोष सिद्ध हुआ।
15. 2 अप्रैल 2004 में जनहित याचिका संख्या 283/2004 रजिस्ट्रार हाईकोर्ट बनाम उत्तरांचल सरकार में माननीय उच्च न्यायालय की ओर से न्याय मित्र अधिवक्ता नियुक्त हुए और न्यायमित्र अधिवक्ता/कोर्ट कमिश्नर के रूप में देहरादून शहर की यातायात, पेयजल, अतिक्रमण, प्रदूषण आदि समस्याओं पर जनहित याचिका की 5 दिसम्बर, 2005 तक पैरवी की।
16. वर्ष 2004 में उत्तरांचल की प्रथम बार कौंसिल बनने पर बार कौंसिल इलैक्शन ट्रिब्यूनल के सदस्य नामित हुए जो अधिवक्ताओं व न्यायधीशों की सर्वोच्च संस्था है।
17. लगभग 35 वर्षों से महत्वूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के उद्घोषक रहे हैं।

18. अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु नागरिक परिषद देहरादून द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2006 को ''श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जनपदीय विकास पुरस्कार 2005''से सम्मानित तथा ''दून रत्न'' उपाधि से विभूषित।
19. 22 दिसम्बर, 2006 को लायस कल्ब द्वारा सम्मानित व ''स्वर्ण पदक'' से विभूषित।
20. अनेक पत्र–पत्रिकाओं के विधि सलाहकार रहे।
21. यातायात में सहयोग हेतु सरकार की ओर से यातायात मित्र (पुलिस) बनाया गया।
22. देहरादून में अतिक्रमण हटवाने, सड़कों के चौड़ीकरण, चौराहों के चौड़ीकरण व सुन्दरता हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिन पर कार्य हुआ व हो रहा है।